

मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय

बल्लभ भवन, भोपाल - 462004
= = = = = = = = = = = =

क्रमांक- सफ 73- 64/20-3/200)

भोपाल, दिनांक - 28/6/85

प्रति,

सचिव,

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
प्रीत विहार, नई दिल्ली ।

विषय :- अशासकीय ब्रैह्मीज बैचिलक स्कूल, इन्दौर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश को सो. बो. एस.ई. / आई.सी.एस.ई. से सम्बद्धता हेतु सन.ओ.सो. देने बाबत ।

== 00 ==

राज्य शासन द्वारा अशासकीय ब्रैह्मीज बैचिलक स्कूल, इन्दौर, जिला इन्दौर, को सो. बो. एस.ई. / आई.सी.एस.ई. नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये गए प्रकरण मानकर विस्तरित ज्ञातों पर दिया जाता है :-

01. संस्था को उपनी कार्य तर्फ़ित में सक प्रतिनिधि जिला शिक्षा अधिकारी को रखवां दो या उनके प्रतिनिधि को शामिल करना होगा तथा दूसरे प्रतिनिधि के रूप में माध्यमिक शिक्षा मण्डल के पंजीयक उपरोक्ताओं को या उनके प्रतिनिधि को शामिल करना अनिवार्य है ।
02. नीतिगत निर्णयों में इन दोनों मनोविदीत सदस्यों को आमंत्रित करना होगा ।
03. मध्यप्रदेश शासन द्वारा शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए लिये गये निर्णयों में यदि संस्था से किन्हों कार्यों को अपेक्षा को जाता है तो ऐसे कार्यों को संस्था को करना होगा ।
04. खेलकूद गतिविधियों में यदि संस्था चाहे तो सदस्यता ग्रहण कर सकता है । परन्तु ऐसा न होने पर भी यदि मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को इनके किसी खेल परिसर या भवन की आवश्यकता पड़ती है तो उपलब्ध कराना होगा ।

०० २ ००

05. राष्ट्रीय कार्यक्रमों को हंदालित करने के लिए यदि संस्था या भवन या स्टाफ को सेवाओं को मावश्यकता होगी तो उन्हें उपलब्ध कराना होगा।

- मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

श्री आर. झार. अहिरदार
अधर सचिव
मोप्र० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग.

पृ.क्र. ईफ 73 - /20-3/200 मोप्र०, दिनांक -

प्रतिलिपि :-

.. आदुक, शोद शिक्षा विभाग।

2. विद्या विभाग अधिकारी, विद्या - इन्डोर, मोप्र०।

3. प्राचार्य झार. द्वारा दिया गया सूची, इन्डोर, विद्या इन्डोर, मोप्र० को अद्य इन्डोर रेलवे अड्डे कार्यालयों द्वारा अद्यता है।

R
अधर सचिव १६/१४५

मोप्र० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग.

//मानकर//
30.12.04